न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13/2023

बउनवान

1. मेघराज आयु 48 वर्ष पुत्र श्री कालू लाल, जाति बैरवा, निवासी आमापुरा तहसील बारां, जिला बारां हाल निवासी नई बस्ती काला तालाब अर्जुनपुरा कोटा, जिला कोटा
2. रामविलास आयु 39 वर्ष पुत्र श्री कालू लाल, जाति बैरवा निवासी आमापुरा, तहसील बारां जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट)**

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 14.02.2005 ग्राम, कलमण्डा
न्यायालय तहसीलदार, बारां
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री हेमराज बैरवा एडवोकेट (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेंस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 22.08.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां ने अपीलांन्टस के शामलाती खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 419 रकबा 1.50 है. वाके ग्राम कलमण्डा का नामांतकरण अपीलांट 1 व 2 व अन्य वारिसान के नाम खोलते समय हल्का पटवारी द्वारा गलत सजरा अंकित करते हुये अपीलांटस् का नाम जोधराज व जितेन्द्र पुत्रगण कालू लाल गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलांट कम 1 व 2 का वास्तविक नाम मेघराज पुत्र कालू लाल व रामविलास पुत्र कालू लाल के स्थान पर जोधराज पुत्र कालू लाल व जितेन्द्र पुत्र कालू लाल गलत दर्ज कर दिया गया है। अपीलांटस् के समस्त दस्तावेज के अनुसार अपीलांट कम 1 व 2 का नाम मेघराज व रामविलास है, जिनकी पुष्टि अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटस् ने फर्द के साथ उपखण्ड न्यायालय बारां की डिकी प्रकरण संख्या 81/2004 गणेशराम बनाम राजू निर्णय दिनांक 04.11.2004 दावे की छायाप्रति प्रस्तुत की। अपीलांटस् का नाम वर्तमान जमाबन्दी में गलत दर्ज होने से अपीलांट को सरकारी लाभ उठाने व केसीसी आदि जारी करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, क्योकि बैक द्वारा अपीलांटस के नाम केसीसी जारी करने से भी मना कर दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 14.02.2005 को निरस्त किया जाकर पुनः इंतकाल खोला [illegible] राजस्व रेकार्ड में अपीलांट कम 1 व 2 का जोधराज पुत्र कालू [illegible] के स्थान पर सही नाम मेघराज पुत्र कालू लाल व रामविला[illegible] का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible]या जाकर रेस्पोंडेंट [illegible] सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलांटस् का नाम जोधराज व जितेन्द्र पुत्रगण कालू लाल गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलांट क्रम 1 व 2 का वास्तविक नाम मेघराज पुत्र कालू लाल व रामविलास पुत्र कालू लाल है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 921 दिनांक 14.02.2005 को निरस्त किया जाकर पुनः नये सिरे से इंतकाल खोला जाकर अपीलांट क्रम 1 व 2 का जोधराज पुत्र कालू लाल व जितेन्द्र पुत्र कालू लाल के स्थान पर सही नाम मेघराज पुत्र कालू लाल व रामविलास पुत्र कालू लाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांटस् द्वारा नामांतकरण खोलते समय अपने नाम के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नही कराई गई, और ना ही वास्तविक नाम के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश किये गये। नामांतकरण निर्णय दिनांक 14.02.2005 के इतने समय पश्चात अपीलांटस् द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने तथा सारहीन होने के कारण निरस्त फरमाई जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां की डिक्री मुकदमा संख्या 81/2004 जिसके द्वारा ''वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम कलमण्डा खसरा नंबर 431 रकबा 1.40 है. पर से चम्पा, श्रीकृष्ण पिता नाथु जाति चमार साकिन आमापुरा का नाम हटाया जाकर वादीगण के खाते एवं खसरा नंबर 419 रकबा 1.50 है. पर से वादीगण का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 का नाम राजस्व रिर्ड में नियमानुसार दर्ज किया जावे'' निर्णय पारित किया गया है। जबकि उक्त निर्णयानुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं को कालू का पुत्र होना बताते हुए उनका नामांतकरण जोधराज व जितेन्द्र के स्थान दर्ज करने की प्रार्थना की है, जबकि डिक्री में खसरा नंबर 419 में मेघराज व जितेन्द्र व अन्य प्रतिवादीगण की खातेदारी में खसरा नंबर 419 दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा अपील में चाही गयी प्रार्थना स्वीकार योग्य नही है, परन्तु चूंकि डिक्री के मुताबिक नामांतकरण दर्ज नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामान्तरकरण संख्या 921 दिनांक 14.02.2005 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी की डिक्री प्रकरण संख्या 81/2004 बउनवान [illegible] चम्पालाल वगैरा निर्णय दिनांक 04.11.2004 अनुसार नामांतकरण दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested